

2

सं०संख्या-12/प०-क०-बजट-11-09/2015- 29 (12)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर प्रसाद,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
प्राचार्य, सभी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
अधीक्षक, सभी ए०एन०एम०/एल०एच०भी स्कूल, बिहार।
अधीक्षक गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

पटना, दिनांक:- 31-12-15

विषय:- वित्तीय वर्ष-2015-16 में मुख्य शीर्ष -2211, परिवार कल्याण के अन्तर्गत सभी जिलों से प्रत्यर्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित वित्तीय वर्ष-2015-16 में मुख्य शीर्ष -2211, परिवार कल्याण के अन्तर्गत सभी जिलों के प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोधपूर्वक कहना है कि दिसम्बर, 2015 तक CTMIS के आधार पर आवंटित राशि की तुलना में काफी कम व्यय परिलक्षित हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में पर्याप्त राशि के बचत की संभावना है। अतः निम्नांकित विपत्र कोडों के तहत अब तक के कुल आवंटित राशि में से माह फरवरी, 2016 तक व्यय होने वाली संभावित राशि का आकलन करते हुए अतिरिक्त बचत की राशि को पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अन्दर फैक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से विभाग को प्रत्यर्पित करना सुनिश्चित किया जाय (यदि कोई शेष राशि के बचत की संभावना हो तो अन्यथा शून्य प्रतिवेदन भेजा जाय) ताकि आवश्यकतानुसार वेतनादि मद में जरूरतमंद जिलों को ससमय आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

Plan:-

1. P 2211000010104
2. P 2211000030106
3. P 2211001010105
4. P 2211000040102
5. P 2211001020102

निर्धारित अवधि के उपरांत प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि के अनुपयुक्त रह जाने की स्थिति में संबंधित जिला के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(शंकर प्रसाद)

विशेष कार्य पदाधिकारी।